न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/172 **दायरा दिनांक : 21.10.2024**

उनवान

1. पप्पू लाल पुत्र फूलचन्द
2. कन्हैयालाल पुत्र फूलचन्द
3. भरतराज पुत्र भूरा लाल
4. हरीलाल पुत्र कजोडी लाल
5. पप्पूलाल पुत्र कजोडी लाल
6. प्रकाश पुत्र कजोडी लाल

अकवाम जाति मीणा, निवासी बोरदा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राजस्थान
.... अपीलांट

बनाम

1. हरी बल्लभ पुत्र नाथू दास उर्फ नाथू लाल, जाति बैरागी, निवासी डूंगरी गणेशपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ राजस्थान
2. रामराज पुत्र नाथू दास उर्फ नाथू लाल, जाति बैरागी, निवासी डूंगरी गणेशपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ राजस्थान
3. गोपी बाई पुत्री नाथू दास उर्फ नाथू लाल, बेवा प्रभूदास, जाति बैरागी, निवासी छबडा, जिला बारां राजस्थान
4. कन्या बाई पुत्री नाथू दास उर्फ नाथू लाल, बेवा द्वारकी दास, जाति बैरागी, निवासी डूंडी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ राजस्थान मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   4/1. सीताराम वल्द द्वारकी दास, जाति बैरागी
   4/2. राधेश्याम वल्द द्वारकी दास, जाति बैरागी
   अकवाम ग्राम डूंडी गाडरवाडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान
   4/3. भरोसी बाई पुत्री द्वारकी दास पत्नी नन्दराम, जाति बैरागी, निवासी फदानिया, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ राजस्थान
5. कमला बाई पुत्री नाथूदास बेवा लक्ष्मी नारायण, जाति बैरागी, निवासी सेमलीकला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राजस्थान
6. रामप्रताप पुत्र गोपाल दास, जाति बैरागी, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान
7. नेमीचन्द पुत्र लक्ष्मण दास, जाति बैरागी, निवासी टंकी मोहल्ला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान
8. बृजमोहन पुत्र लक्ष्मण दास, जाति बैरागी, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान
9. रामस्वरूप पुत्र लक्ष्मण दास, जाति बैरागी, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान
10. धन कंवर पुत्री लक्ष्मणदास पत्नी मरली, जाति बैरागी, निवासी बम्बोरी वाले हाल खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

11. रूकमणी बाई पुत्री लक्ष्मण दास पत्नी नन्दा बिहारी, निवासी बयाना, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा राजस्थान
12. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 6 लगायत 11 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 28.11.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 53/दावा/2023 निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 5 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बोरदा, तहसील अकलेरा के माल में नई खतौनी संख्या 80 की खसरा नम्बर 21 रकबा 0.2023 हेक्टर, खसरा नं. 278 रकबा 1.9020 हेक्टर, खसरा नं. 54 रकबा 0.0324 हेक्टर, खसरा नं. 81 रकबा 0.3237 हेक्टर, खसरा नं. 82 रकबा 0.0324 हेक्टर कुल जुम्ला 5 किता की 2.4928 हेक्टर आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2024 से वादीगण का वाद डिक्री किया तथा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि दौराने वाद राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन नहीं करावे जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा धारा 96 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र के आधार पर यह अपील पेश की है।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत केवल मात्र ग्राम पंचायत तारज व पटवारी के प्रमाण पत्र के आधार पर कब्जे के बिन्दु पर उचित गौर फरमाये बिना ही निर्णय एवं डिक्री जैर अपील पारित किया है जो अवैधानिक है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा है वक्त दावा दायरी भी विवादित आराजी पर वादीगण/रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 5 या इनके पूर्वजों का कभी कोई कब्जा नहीं रहा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

और न ही दस्तावेज या मौखिक साक्ष्य के द्वारा कब्जा साबित किया गया। कब्जे के अभाव में घोषणात्मक वाद चलने योग्य नहीं था इस कानूनी बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया। विवादित आराजी के मामले में बजरंग दास के नाम फोती नामान्तरकरण नं. 50 दिनांक 30.11.1977 को तस्दीक किया गया यदि विवादित आराजी पर वादीगण या इनके पूर्वजों का कब्जा होता तो वादीगण तत्समय ही इस नामान्तरकरण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करते सन् 1977 के बाद दावा सन् 2023 में पेश किया गया जो करीब 46 वर्ष बाद पेश किया गया ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर रेस्पोडेंट/वादीगण का कब्जा ही नहीं था। विवादित आराजी पर रेस्पोडेंट/वादीगण का कभी कोई कब्जा नहीं रहा और विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा होने की जानकारी होने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय में तथ्य छिपाकर एवं अपीलांट को पक्षकार न बनाकर वाद प्रस्तुत किया है जो अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय में क्लीन हैण्ड से वाद प्रस्तुत नहीं किया जो कब्जे के अभाव में ही खारिज होने योग्य है। विवादित आराजी पर अपीलांट के पूर्वजों का कब्जा करीब 50 वर्षों से अधिक समय से चला आ रहा था। अपीलांट के दादा किशना के फौत होने के बाद अपीलांट के पिता फूलचन्द, नाथूलाल, कजोडीलाल का कब्जा चला आ रहा था एवं इनकी मृत्यु के बाद अपीलांट का कब्जा है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में भी अपीलांट जैली, उपकृषक दर्ज है। अपीलांट का कब्जा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने के पूर्व का एवं राजस्व रिकार्ड में जैली होने के कारण एवं कब्जा दिनांक 31.12.1969 को भी होने से अपीलांट को कानूनन उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं इसलिए अपीलांट के द्वारा विवादित आराजी पर विधिक रूप से खातेदार व काबिज होने के आधार पर प्रभावित व हितबद्ध पक्षकार होने के कारण यह अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री से अपीलांट के हित प्रभावित होते हैं। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2024 निरस्त फरमाया जावे एवं प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि वह प्रकरण में अपीलांट को बहैसियत पक्षकार प्रतिवादीगण बनाया जाकर नियमानुसार सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत तरीके से प्रकरण का पुनः निस्तारण करने की कृपा करें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 06.09.2024 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौरान अंकित किया कि ग्राम बोरदा, तहसील अकलेरा की खसरा नम्बर–21, 278, 54, 81, 82 की कुल जुमला–5 कित्ता की 2.4928 हैक्टयर आराजी स्थित बताते हुए रेस्पो. कम–1 लगायत 5/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे एक वाद घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर टी एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि आराजी पूर्व मे नाथूदास आत्मज सुखदास उर्फ रामसुखदास के खातेदारी की थी, जिसका रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा था, परन्तु मृतक नाथूदास के सुलभी पुत्र–पुत्रियों वादीगणों के होते हुए भी उनका फोती इन्तकाल नम्बर–50 दिनांक 30.11.1977 को मृतक बजरंग दास के हक मे तस्दीक कर दिया, बजरंगदास के प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 वारिसान है, जिसमे गोपालदास फोत हो चुका है, उसके वारिसान नेमीचन्द, बृजमोहन, रामस्वरूप पुत्र व धनकंवर, एवं रूकमणी बाई पुत्रियां हैं, बजरंगदास का नाम हटाया जाकर इन्तकाल नम्बर–50 दिनांक 30.11.1977 शून्य घाषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कानूनी प्रावधानों के विपरीत निर्णय एवं डिक्री जैर अपील पारित की गई है, इसलिये यह अपील पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों के विपरीत केवल मात्र ग्राम पंचायत तारज व पटवारी के प्रमाण पत्र के आधार पर एवं कब्जे के बिन्दु पर उचित गोर फरमाऐ बिना ही निर्णय पारित किया गया है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कभी कोई कब्जा नहीं रहा, वक्त दावा दायरी भी अपीलाण्ट का कब्जा था, वादीगण का कब्जा नही था, वादीगण के पूर्वजों का भी कब्जा नहीं रहा, कब्जे के अभाव मे घोषणा का दावा पोषनीय नहीं था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी बिन्दु को नजरअन्दाज कर दावा करने में त्रुटि की है। विवादित आराजी के मामले मे बजरंगदास के नाम फोती नामान्तरकरण नम्बर 50 दिनांक 30.11.1977 को तस्दीक किया है, यदि वादीगण या इनके पूर्वजों का कब्जा होता तो, सन् 1977 से सन् 2023 तक अर्थात करीब 46 वर्षो तक नामान्तरकरण को चैलेन्ज नहीं किया, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर कब्जा भी प्रमाणित नहीं किया। कानूनन कृषि भूमि पर अधिकारों की घोषणा के लिये कब्जा होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति मे कब्जे के अभाव मे वाद चलने योग्य नहीं था। विवादित भूमि पर अपीलाण्ट एवं इनके पूर्वजों का ही कब्जा रहा है, रिकार्ड में भी जैली दर्ज है एवं अपीलाण्ट का कब्जा दिनांक 31.12.1969 को भी होने से अपीलाण्ट कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त कर चुके हैं, अपीलाण्ट प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार है, अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकार नहीं बनाने से अपीलाण्ट द्वारा जानकारी की दिनांक से यह अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की है । न्याय हित मे प्रार्थना–पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं धारा 5 मियाद

(दीप्ति समचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर अपील का मेरिट पर निर्णय पारित किया जाये। अतः निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2024 निरस्त फरमाया जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया जावे कि वह अपीलाण्ट को पक्षकार प्रतिवादी बनाकर नियमानुसार पुनः निर्णय पारित करें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 5 ने हमारे खिलाफ दावा किया था जो एक तरफा डिक्री हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हमें तामील नहीं हुई है। ग्राम पंचायत व पटवारी को कब्जे का प्रमाण पत्र देने का कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में हमें जवाबदेही का अवसर नहीं मिला। अतः प्रकरण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू. 1976 पेज 1 से 3 व आर.आर.डी. 2010 पेज 640 से 650 की नजीर उद्धरत की।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी पर अपीलांट के पूर्वजों का कब्जा करीब 50 वर्षों से अधिक समय से चला आ रहा था। अपीलांट के दादा किशना के फौत होने के बाद अपीलांट के पिता फूलचन्द, नाथूलाल, कजोडीलाल का कब्जा चला आ रहा है एवं इनकी मृत्यु के बाद अपीलांट का कब्जा है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में भी अपीलांट जेली उपकृषक दर्ज है। अपीलांट का कब्जा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने के पूर्व का एवं राजस्व रिकार्ड में जेली होने के कारण एवं कब्जा दिनांक 31.12.1969 को भी होने से अपीलांट को कानूनन उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं इसलिए अपीलांट के द्वारा विवादित आराजी पर विधिक रूप से खातेदार व काबिज होने के आधार पर प्रभावित व हितबद्ध पक्षकार होने के कारण अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रार्थना पत्र एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी पर कब्जे के आधार पर स्वयं को अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित व हितबद्ध पक्षकार होना अंकित किया है परन्तु अपने विधिसम्मत कब्जे की पुष्टि हेतु खसरा गिरदावरी या अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अपीलांट को प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करना विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलांट धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र पर ही खारिज करना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. खारिज किये जाने के फलस्वरूप अपील अपीलांट इसी स्तर पर ही खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/11/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा